



मध्याचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड-लम्मुआ  
सुलतानपुर

Email ID: [eddlambhua@gmail.com](mailto:eddlambhua@gmail.com)

CIN: U31200UP2003SGC027459

पत्रांक. 23 / वि०वि०ख०-ल०(सु०) /

/ दिनांक 06/03/2023

कार्यालय ज्ञापन

एतद द्वारा जमा योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता का भार उनके आनलाइन आवेदन प्रार्थना पत्र के अनुरोध पर जमा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है।

क्रम संख्या	इकाई/घाटी का नाम	आवेदन संख्या	मोबाइल नं०	सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी	स्वीकृत भार	विधा	प्रयोजन	विकास खण्ड
1.	श्री उदय प्रताप पाण्डेय पुत्र त्रिभुवन प्रसाद पाण्डेय, सादापुर	1008247731	9936223270	चांदा	3	Lmv-5	कृषि कार्य हेतु	प्रतापपुर कमैचा
2	श्री ऋषि कुमार सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह, नरहरपुर	1008247889	7678905274	लम्मुआ	3	Lmv-5	कृषि कार्य हेतु	लम्मुआ
3.	श्री शाहिद पुत्र मो० रफिक, भादा	1008248986	9935794745	लम्मुआ	5	Lmv-5	कृषि कार्य हेतु	मदैयां
4	मो० नूर पुत्र मो० जकरिया खान, खजुरी	1008248996	7054992040	लम्मुआ	3	Lmv-5	कृषि कार्य हेतु	मदैयां
5	श्री हरिशंकर यादव पुत्र रामफेर यादव, विशानी	1008249003	9616293040	लम्मुआ	5	Lmv-5	कृषि कार्य हेतु	मदैयां
6	श्री बैजनाथ मौर्या पुत्र शितला प्रसाद, बालमपुर भादा	1008249024	9935871145	लम्मुआ	3	Lmv-5	कृषि कार्य हेतु	मदैयां
7	श्री रतिपाल यादव पुत्र रामनेवाज, वैनी	1008249067	7388299703	लम्मुआ	5	Lmv-5	कृषि कार्य हेतु	लम्मुआ
8	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह, तेरयें	1008249631	9415757512	लम्मुआ	3	Lmv-5	कृषि कार्य हेतु	मदैयां

नियम:-

- उपभोक्ता के नाम व इकाई के मध्य कोई भी न्यायिक विवाद है तो उक्त दशा में भार स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- उपभोक्ता का नाम से पहले से कोई कनेक्शन चल रहा है या उस पर बकाया है तो उक्त दशा में भार स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- अनुबन्ध के समय किसी भी प्रपत्र की आवश्यकता पडने पर इकाई व उपभोक्ता को प्रेषित करना होगा।
- इस आदेश के निर्गत होने से दो वर्ष की अवधि में उपभोक्ता द्वारा उल्लिखित विद्युत भार उपभोगन करने की दशा में भी उक्त स्वीकृत भार स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा।
- कार्य करते समय किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा मे सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित आवेदन करने वाले की होगी। तथा विभाग में जमा धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

(जगदीश पटेल)  
अधिशाषी अभियन्ता

पत्रांक..... / वि०वि०ख०-ल०(सु०) / तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड लम्मुआ/चांदा को इस आशय से प्रेषित है कि उपभोक्ता का प्राक्कलन प्राथमिकता के आधार पर प्रेषित करे।
- उपभोक्ता को उपरोक्त पते पर।
- अनुबन्ध लिपिक।

(जगदीश पटेल)  
अधिशाषी अभियन्ता